न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 208/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

HDFC Bank Ltd जरिये प्राधिकृत अधिकारी विनय अरोड़ा

पंजीकृत कार्यालयः– एच.डी.एफ.सी. बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र–400013

शाखा कार्यालयः– सी–25, भगवंत दास रोड़, सेंट जेवियर्स स्कूल के सामने, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान–302001

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

महावीर प्रसाद वैद्य (फौत) जरिये विधिक वारिसान

1. **रविन्द्र कुमार वैद्य पुत्र महावीर प्रसाद वैद्य**
   प्रथम पताः– वार्ड नं. 29, पट्टा संख्या 363, जोशियों की गली, मोरी गेट, गली जोशियों की बागड़ी, लक्ष्मणगढ़, सीकर, राज.–332311
   द्वितीय पताः– मैसर्स वेदनाथ किराना एंड जनरल स्टोर, चौपड़ बाजार, लक्ष्मणगढ़, सीकर, राज.–332311
2. **उर्मिलादेवी पत्नि महावीर प्रसाद वैद्य**
   प्रथम पताः– वार्ड नं. 29, पट्टा संख्या 363, जोशियों की गली, मोरी गेट, गली जोशियों की बागड़ी, लक्ष्मणगढ़, सीकर, राज.–332311
   द्वितीय पताः– मैसर्स वेदनाथ किराना एंड जनरल स्टोर, चौपड़ बाजार, लक्ष्मणगढ़, सीकर, राज.–332311
3. **राकेश वैद्य पुत्र महावीर प्रसाद वैद्य**
   प्रथम पताः– वार्ड नं. 29, पट्टा संख्या 363, जोशियों की गली, मोरी गेट, गली जोशियों की बागड़ी, लक्ष्मणगढ़, सीकर, राज.–332311
   द्वितीय पताः– मैसर्स वेदनाथ किराना एंड जनरल स्टोर, चौपड़ बाजार, लक्ष्मणगढ़, सीकर, राज.–332311
4. **श्यामसुन्दर वैद्य पुत्र महावीर प्रसाद वैद्य**
   प्रथम पताः– वार्ड नं. 29, पट्टा संख्या 363, जोशियों की गली, मोरी गेट, गली जोशियों की बागड़ी, लक्ष्मणगढ़, सीकर, राज.–332311
   द्वितीय पताः– मैसर्स वेदनाथ किराना एंड जनरल स्टोर, चौपड़ बाजार, लक्ष्मणगढ़, सीकर, राज.–332311

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. **सरोज वैद्य पुत्री महावीर प्रसाद वैद्य**
   प्रथम पताः– वार्ड नं. 29, पट्टा संख्या 363, जोशियों की गली, मोरी गेट, गली जोशियों की बागड़ी, लक्ष्मणगढ़, सीकर, राज.–332311
   द्वितीय पताः– मैसर्स वेदनाथ किराना एंड जनरल स्टोर, चौपड़ बाजार, लक्ष्मणगढ़, सीकर, राज.–332311
6. **उषा वैद्य पुत्री महावीर प्रसाद वैद्य**
   प्रथम पताः– वार्ड नं. 29, पट्टा संख्या 363, जोशियों की गली, मोरी गेट, गली जोशियों की बागड़ी, लक्ष्मणगढ़, सीकर, राज.–332311
   द्वितीय पताः– मैसर्स वेदनाथ किराना एंड जनरल स्टोर, चौपड़ बाजार, लक्ष्मणगढ़, सीकर, राज.–332311

–अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 25 नवम्बर, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मयंक कुमार** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रमशः **रविन्द्र कुमार वैद्य पुत्र महावीर प्रसाद वैद्य, उर्मिलादेवी पत्नि महावीर प्रसाद वैद्य, राकेश वैद्य पुत्र महावीर प्रसाद वैद्य, श्यामसुन्दर वैद्य पुत्र महावीर प्रसाद वैद्य, सरोज वैद्य पुत्री महावीर प्रसाद वैद्य** एवं **उषा वैद्य पुत्री महावीर प्रसाद वैद्य** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **पट्टा संख्या 363, वार्ड संख्या 29, जोशीयों की गली, मोरीगेट, कस्बा लक्ष्मणगढ़, जिला–सीकर, राजस्थान–332311** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 260.00 वर्गगज** है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ाचा आदि सभी सम्मिलित हैं, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में सड़क रास्ता आम, पश्चिम दिशा में मकान रामवतार शर्मा कुईवाला व हवेली कंटेवा वालों की, उत्तर दिशा में मकान परसराम वैद्य एवं दक्षिण दिशा में मकान मोहनलाल भातरा का स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **₹10,00,000/– (अक्षरे रूपये दस लाख)**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

एवं **₹5,14,653/– (अक्षरे रूपये पांच लाख चौदह हजार छः सौ तरेपन)** कुल **₹15,14,653/– (अक्षरे रूपये पन्द्रह लाख चौदह हजार छः सौ तरेपन)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **29.02.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **29.02.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रमशः **रविन्द्र कुमार वैद्य पुत्र महावीर प्रसाद वैद्य, उर्मिलादेवी पत्नि महावीर प्रसाद वैद्य, राकेश वैद्य पुत्र महावीर प्रसाद वैद्य, श्यामसुन्दर वैद्य पुत्र महावीर प्रसाद वैद्य, सरोज वैद्य पुत्री महावीर प्रसाद वैद्य** एवं **उषा वैद्य पुत्री महावीर प्रसाद वैद्य** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **पट्टा संख्या 363, वार्ड संख्या 29, जोशीयों की गली, मोरीगेट, कस्बा लक्ष्मणगढ़, जिला–सीकर, राजस्थान–332311** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 260.00 वर्गगज** है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ाचा

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

आदि सभी सम्मिलित हैं, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में सड़क रास्ता आम, पश्चिम दिशा में मकान रामवतार शर्मा कुईवाला व हवेली कंटेवा वालों की, उत्तर दिशा में मकान परसराम वैद्य एवं दक्षिण दिशा में मकान मोहनलाल भातरा का स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक **25 नवम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर